उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या-1/2970/55-पर्या/2014-23(पर्या)/97
लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0-10, 1897) की धारा-21 के साथ पठित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4(2)(डी) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री राजेश यादव 'राजू' पुत्र श्री रामऔतार यादव, ग्राम बोहइय्या पो0 कुर्सी, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश को तात्कालिक प्रभाव से एक वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य नामित करते है। श्री राजेश यादव का कार्यकाल बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

वी0 एन0 गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2970/55-पर्या/2014-23(पर्या)/97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 अध्यक्ष, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
2 सदस्य -सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3 श्री राजेश यादव 'राजू' पुत्र श्री रामऔतार यादव, ग्राम बोहइय्या पो0 कुर्सी, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

4 निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in